भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 199
सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

परिचर्या अर्थव्यवस्था में निवेश

199. श्री गौरव गोगोई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की उस रिपोर्ट से अवगत है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारत में 53 प्रतिशत महिलाएं परिचर्या संबंधी जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान परिचर्या अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार की परिचर्या क्षेत्र में कामगारों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों सहित सुदृढ़ परिचर्या कार्यबल विकसित करने की कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) परिचर्या कर्मियों, विशेषकर महिलाओं के लिए कार्य की दशाओं, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा लाभों में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) परिचर्या सेवाओं के संवर्धन और परिचर्या क्षेत्र की दक्षता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): आईएलओ की फ्लैगशिप रिपोर्ट, *विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण: रुझान 2025*, दक्षिण एशिया में श्रम बल भागीदारी दर में महत्वपूर्ण वृद्धि को उजागर करती है, जो विशेष रूप से भारत में महिला भागीदारी में वृद्धि द्वारा संचालित है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए वर्ष 2017-18 में 23.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गई है।

भारत सरकार ने देखभाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

जारी..2/-

सवेतन प्रसूति अवकाश, प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत 12 से 26 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। अधिनियम के अनुसार यह भी अपेक्षित है कि 50 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों को डे-केयर/क्रेश सुविधा प्रदान करनी है।

इसके अलावा, मिशन शक्ति के तहत पलना उप-योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2022 से स्वतंत्र क्रेश और आंगनवाड़ी सह क्रेश प्रदान करती है। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए दिनांक 22.1.2025 को मिशन शक्ति डैशबोर्ड लॉन्च किया गया।

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) को इस उद्देश्य के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है कि महिला को पहले बच्चे के जन्म से पूर्व और उसके पश्चात पर्याप्त आराम करने के लिए वेतन हानि के आंशिक मुआवजे के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

इस क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू प्रबंधन और देखभाल करने वालों के क्षेत्र कौशल परिषद - एचएमसीजीएसएससी, एक शीर्षस्थ निकाय है, जो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अधीन काम कर रहा है।

*****